DOI: 10.51220/hjssh.v7i1.5

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 7 pp.33 - 37, December, 2012, ISSN. 0975 - 9891

भारत छोड़ो आन्दोलन में ब्रिटिश गढ़वाल का योगदान

सुरेश चन्दोला

इतिहास विभाग,

हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Received: 26.09.2012 **Revised: 06.12.2012** **Accepted: 29.12.2012**

ABSTRACT

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित अहिंसात्मक आन्दोलन, चाहे वह सन् 1920 का असहयोग आन्दोलन रहा हो या सन् 1930 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन अथवा 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन, सभी में ब्रिटिश गढ़वाल की जनता ने अपना योगदान दिया। प्रस्तुत शोध-आलेख में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में ब्रिटिश गढ़वाल की जनता के योगदान का अध्ययन्-विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यथा-ब्रिटिश गढ़वाल में भारत छोड़ो आन्दोलन का आरम्भ-प्रस्फुटन, प्रमुख आन्दोलनकारी, प्रमुख घटनायें, ब्रिटिश सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों के दमनार्थ की गई कार्यवाहियां, उनके परिणाम, ब्रिटिश गढ़वाल में हुये आन्दोलन का गढ़वाल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिफलन आदि प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य अध्ययन बिन्दु हैं।

KEY-WORDS: भारत छोड़ो आन्दोलन, ब्रिटिश गढ़वाल

सन् 1815 में आंग्ल-नेपाल युद्ध के पश्चात् गढ़वाल राज्य का विभाजन हो गया। इस विभाजन के पश्चात् गढ़वाल राज्य का एक बड़ा भू-भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तथा उसे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अधिग्रहित कुमाऊँ कमिश्नरी से सम्बद्ध कर ब्रिटिश गढ़वाल नाम दिया गया। ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन क्षेत्र वर्तमान पौड़ी एवं चमोली जनपद थे। शेष गढ़वाल राज्य कालान्तर में रियासत टिहरी कहलाया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित अहिंसात्मक आन्दोलनों, चाहे वह सन् 1920 का असहयोग आन्दोलन रहा हो या सन् 1930 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन अथवा सन् 1942 का भारत छोड़ा आन्दोलन, सभी में ब्रिटिश गढ़वाल की जनता ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया, स्वतन्त्रता के लिये किये गये आन्दोलनों में ब्रिटिश गढ़वाल की जनता को ब्रिटिश प्रशासकों के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। अनेक अत्याचारों, भीषण यातनाओं के सम्मुख ब्रिटिश गढ़वाल की जनता कभी नहीं डगमगाई और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये देश की जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर निरन्तर संघर्ष करती रही, प्रस्तुत शोध आलेख में भारत छोड़ो आन्दोलन में ब्रिटिश गढ़वाल की जनता के योगदान का अध्ययन् विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सन् 1939 में यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। इंगलैण्ड भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। इस समय भारत में लार्ड लिनलिथगो वायसराय के पद पर कार्यरत था। उसने भारतीयों से सलाह लिये बिना

©SHARAD

ही भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर दिया[1]। द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को सम्मिलित करने के विरोध में सन् 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन की योजना बनायी। इंगलैण्ड के प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत रक्षा सचिव एमरी ने आन्दोलन को निर्दयतापूर्वक कुचलने का निश्चय किया। आन्दोलन का प्रारम्भ आचार्य विनोवा भावे द्वारा किया गया[2]। पण्डित् जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि बन्दी बना लिये गये। आन्दोलन अभी चरमोत्कर्ष पर ही था कि सन् 1941 में जापान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ऐसे संकटकाल में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया और आन्दोलन स्थगित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 23 मार्च, 1941 को चर्चिल द्वारा भारतीय राजनीति का अध्ययन् करने के लिए क्रिप्स मिशन को दिल्ली भेजा गया[3]। दिल्ली पहुंचने के उपरान्त क्रिप्स ने भारत की जनता को युद्ध के पश्चात् संघ राज्य की स्थापना का आश्वासन दिया। यह भी घोषित कर दिया गया कि कोई प्रान्त अथवा भारतीय राज्य, भारतीय संघ में सम्मिलित न होना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार होगा[4]। क्रिप्स के प्रस्तावों से कोई भी भारतीय राजनीतिक दल सन्तुष्ट नहीं हो पाया, फलस्वरूप क्रिप्स को वापस लौटना पड़ा।

8 अगस्त, 1942 को बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी द्वारा 'भारत छोड़ो आन्दोलन' आरम्भ करने का प्रस्ताव पारित किया गया और 'करो या मरो' का नारा दिया गया। इस आन्दोलन को असफल बनाने के लिए 8 अगस्त, 1942 को प्रात: काल जब सारा बम्बई नगर सो रहा था, तो महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस 'कार्य समिति' के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर नज़रबन्द कर दिया गया[5]। आन्दोलन 'नेतृत्व विहीन' हो गया, परन्तु भारतीय जनता द्वारा ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' का ऐतिहासिक नारा जो एक बार आसमान में गूंजा वह ब्रिटिश सरकार के लाठी-डण्डों एवं निरपराध जनता पर चलायी गयी गोलियों के पश्चात् भी कभी शान्त नहीं किया जा सका। इसका सुख:द अन्त भारत की स्वतन्त्रता के साथ हुआ।

ब्रिटिश गढ़वाल में भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारम्भ 10 अगस्त, 1942 को हुआ। इस दिन पौड़ी मे डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर भक्त दर्शन एवं उनके साथियों ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' के जमकर नारे लगाये, जिसका परिणाम यह हुआ कि तत्काल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया[6]। सम्पूर्ण ब्रिटिश गढ़वाल में धारा-144 लगा दी गयी। लैन्सडाउन से प्रकाशित होने वाले एकमात्र साप्ताहिक समाचार-पत्र कर्मभूमि का प्रकाशन बन्द कर दिया गया। इसके कार्यकारी सम्पादक ललिता प्रसाद नैथानी को नज़रबन्द कर दिया गया[7]। आन्दोलन के प्रारम्भ में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल के प्रमुख नेता एवं कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भौगोलिक कठिनाईयों, सरकार के दमन और ब्रिटिश पुलिस के व्यापक प्रबन्ध के बावजूद ढ़ौरी (डबरालस्यूं) में सम्पूर्ण ब्रिटिश गढ़वाल के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं का एक गुप्त सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 सितम्बर, 1942 को लैन्सडाउन छावनी में प्रवेश करने, यातायात एवं संचार के साधनों को नष्ट करने, स्कूल-कालेज बन्द कराने, लगान न देने, मोटर-चालकों की हड़ताल कराने सरकारी कर्मचारियों से त्याग-पत्र दिलाने तथा शासन-व्यवस्था के लिये ग्राम-पंचायतें स्थापित करने आदि का कार्यक्रम तैयार किया गया[8]।

इस सम्मेलन से लौटे हुए कार्यकर्त्ता जैसे ही अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हुये कि गांव-गांव में सैनिक टुकड़ियां प्रविष्ट हो गयीं। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को चुन-चुन कर गिरफ्तार किया जाने लगा। ब्रिटिश गुप्तचरों ने आन्दोलनकारियों की एक सूची बना ली थी। इस सूची के अनुसार जो आन्दोलनकारी मिला उसे गिरफ्तार कर

लिया गया, जो नहीं मिला उसके परिवार के सदस्यों को मारा-पीटा गया। स्त्रियों के साथ अनाचार किया गया। घरों में घुसकर कीमती सामान चुराया गया। घरवालों को बाहर निकालकर घरों में ताले डाल दिये गये। सामान की जब्ती व नीलामी कर दी गयी। बलपूर्वक स्थानीय निवासियों से द्वितीय विश्वयुद्ध का चन्दा वसूल किया गया तथा जनता पर सामूहिक जुर्मानें किये गये[9]। इससे सम्पूर्ण ब्रिटिश गढ़वाल में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। परिणामस्वरूप यहां तोड़-फोड़ की घटनायें नहीं हुयीं। किन्तु 72 वर्षीय नारायणसिंह ने सीरोपाणी के डाकबंगले को अकेले ही भस्मीभूत कर दिया। इस कारण इन्हें 7 वर्ष कठोर कारावास का दण्ड मिला[10]। आन्दोलन चल ही रहा था कि पुलिस ने मटियाली (डाडामण्डी) के एक दुकानदार केशवानन्द कण्डवाल को इतनी क्रूरता से पीटा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। पुलिस की इस क्रूरता का शिकार ग्राम गैनोली का एक सड़क मजदूर भूपालसिंह भी हुआ। उसे पुलिस द्वारा पीटे जाने के पश्चात् रातभर अमानवीय यातनायें दी गयीं[11]। सम्पूर्ण ब्रिटिश गढ़वाल इस आन्दोलन के समय सैनिक शिविर में तब्दील हो चुका था।

आन्दोलनकारियों द्वारा चमोली तहसील के उप डाकघर को जलाने का प्रयत्न किया गया और संचार के साधनों को नष्ट कर दिया गया। 5 सितम्बर, 1942 को रामप्रसाद बहुगुणा अपने साथियों के साथ नन्दप्रयाग में एक जन-सभा करने में सफल रहे, परन्तु तत्काल ही उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत रक्षा कानून की धारा-129 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया[12]। अनेक कांग्रेसी आन्दोलनकारियों के साथ इन्हें जिला कारागार पौड़ी लाया गया। बीमार कांग्रेसी नेता अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को भी नज़रबन्द कर दिया गया[13]। आन्दोलन की गति धीमा होते देख ब्रिटिश गढ़वाल के कुछ नवयुवकों ने महात्मा गांधी की अहिंसा नीति त्याग हिंसा का मार्ग अपनाना चाहा, परन्तु ब्रिटिश गुप्तचरों ने उनकी योजनायें ध्वस्त कर दीं और ब्रिटिश गढ़वाल के ही नहीं, दिल्ली में कार्य कर रहे क्रान्तिकारी संगठनों के नवयुवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। भैरवदत्त धूलिया द्वारा दिल्ली स्थित अपने निवास पर क्रान्तिकारियों को शरण देने के अपराध में उन्हें 7 वर्ष कठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया[14]।

पौड़ी में विद्यार्थियों ने भी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया एवं भारत छोड़ो आन्दोलन में सम्मिलित हो गये। सड़कों पर विद्यार्थियों द्वारा विशाल जलूस निकाला गया। जलूस का नेतृत्व राय बहादुर जोधसिंह नेगी का पुत्र कर रहा था।[15] ब्रिटिश सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र भी इस जलूस में सम्मिलित थे। विद्यार्थियों को उत्साहित एवं उत्तेजित देखकर पौड़ी के डिप्टी कमिश्नर आर0बी0 बर्नेड़ी ने जलूस को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, परन्तु कुछ राजभक्तों के समझाने पर कि ऐसा करने से स्थिति नियंत्रित होने के स्थान पर और गम्भीर हो जायेगी, डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस को दिया अपना आदेश वापस ले लिया। विद्यार्थियों के जलूस ने डिप्टी कमिश्नर की अदालत पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसका पौड़ी के निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे विद्यार्थियों का साथ देने लगे। इस घटना के पश्चात् अनेक स्थानों पर जनता ने अपनी अदालतें स्थापित कर लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश गढ़वाल में ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त सा हो गया था।

जनता में आन्दोलन की तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 'दमन नीति' का सहारा लिया। ब्रिटिश गढ़वाल में लैन्सडाउन, दुगड्डा, डाडामण्डी, हरिद्वार एवं कोटद्वार में सेना एवं पुलिस कर्मचारियों ने निरपराध जनता पर गोलियां चलायीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि चार आन्दोलनकारी मारे गये एवं सात घायल हुये। अथक परिश्रम के उपरान्त भी मारे गये एवं घायल आन्दोलनकारियों के नाम ज्ञात नहीं हो पाये। जनता पर अर्थदण्ड

लगाया गया। सम्पूर्ण ब्रिटिश गढ़वाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा पांच हजार नौ सौ उनसठ रुपये सामुहिक जुर्माने के रूप मे वसूल किये गये[16]।

भारत छोड़ो आन्दोलन में देहरादून के डी0ए0वी0 स्कूल के छात्रों ने भी एक विशाल जलूस निकाला। इन छात्रों द्वारा शराब की दुकानों एवं होटलों के बाहर खड़े अंग्रेज सैनिकों पर पथराव किया गया। इस कार्य से कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गये। देहरादून के छात्रों के आन्दोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अलग ही नीति अपनायी। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि यदि देहरादून के छात्रों पर वह बल प्रयोग करेगी तो इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और आन्दोलन उग्र हो जायेगा। अत: उन्होने आन्दोलनकारी छात्रों को पुलिस की गाड़ियों में बैठाकर शहर से दूर जंगलों में छोड़ने की नीति अपनायी।[17] अंग्रेजों की इस नीति से छात्रों में भय उत्पन्न हो गया और वह आन्दोलन से दूर होते चले गये।

सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय ब्रिटिश गढ़वाल में घटित घटनाओं एवं समस्त तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि आन्दोलनकारियों के साथ मारपीट, लूट-खसोट, चोरी तथा बलात्कार की अमानवीय घटनाओं के लिये डिप्टी कमिश्नर आर0बी0 बर्नेड़ी पूर्ण रूप से उत्तरदायी था। यदि वह चाहता तो उसके अधीनस्थ ब्रिटिश सरकार की सेवा में कार्यरत स्थानीय कर्मचारी, ब्रिटिश गढ़वाल की जनता पर इतना अमानवीय अत्याचार नहीं करते, जितना कि उन्होने किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन में ब्रिटिश गढ़वाल का योगदान देश के अन्य भागों की जनता से कम नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार के अमानवीय अत्याचारों को सहते हुए भी ब्रिटिश गढ़वाल के आन्दोलनकारियों ने जब एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में अपनी भागेदारी सुनिश्चित कर 'करो या मरो' की नीति अपनायी, तो वे तब तक संघर्ष करते चले गये जब तक अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा।

सन्दर्भ

1. सिंह, अयोध्या-भारत का मुक्ति संग्राम, पृष्ठ-352
2. सीतारम्म्या, डॉ0 पट्टाभि-कांग्रेस का इतिहास, भाग-3, पृष्ठ-264
3. सहाब, गोविन्द-सन् बयालीस का विद्रोह, पृष्ठ-175
4. अग्रवाल, आर0सी0-राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय संविधान का विवेचन, पृष्ठ-298
5. प्रसाद, डॉ0 अम्बा-दि इण्डियन रिवोल्ट ऑफ 1942, पृष्ठ-49
6. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भक्त दर्शन द्वारा लेखक को प्रेषित संस्मरणों के कुछ अंश, (लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित)
7. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा लेखक को प्रेषित संस्मरणों के कुछ अंश, (लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित)
8. साप्ताहिक नैनीताल समाचार-गढ़वाल (पौड़ी) अंक-15 अगस्त, 1982 (सम्पादक-राजीव लोचन शाह, नैनीताल)

9. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदित्यराम दुदपुड़ी द्वारा लेखक को प्रेषित संस्मरणों के कुछ अंश, (लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित)
10. कर्मभूमि विशेषांक-26 जनवरी, 1956, पृष्ठ-68 (सम्पादक-कुंवर सिंह नेगी 'कर्मठ'-कोटद्वार-गढ़वाल)
11. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मायाराम बड़थ्वाल के लेखक को प्रेषित संस्मरणों के कुछ अंश, (लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित)
12,13.नेगी, कुंवर सिंह (सम्पादक)-भारत की आजादी में गढ़वालियों का महत्वपूर्ण योगदान, पृष्ठ-289, 290
14. नैथानी, ललिता प्रसाद-कुछ यादें-कुछ बातें, (संस्मरण संकलन) पृष्ठ-82
15. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उमराव सिंह अधिकारी द्वारा लेखक को प्रेषित संस्मरणों के कुछ अंश, (लेखक के निजी संग्रह में सुरक्षित)
16. सहाय, गोविन्द-सन् बयालीस का विद्रोह, पृष्ठ-207, 208
17. साप्ताहिक कर्मभूमि-स्वतन्त्रता विशेषांक-26 जनवरी, 1956 (सम्पादक-कुंवर सिंह नेगी 'कर्मठ'-कोटद्वार गढ़वाल)